(5)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	अ०सं० 1 से 6 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली ~~[illegible]~~ अप्रार्थी सं. 7 का जवाब अवसर बन्द किया जाता है। बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 26/12/24 को पेश हो। [signature] 17/12/24	
26/12/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थीगण उप०। अभि० प्रार्थीगण की बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT Act के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा -212 RT Act के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिये प्रा० पत्र को निम्न 03 बिन्दुओ पर जांचना आवश्यक है :- <u>(अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया:-</u> अभि० प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम बरखेडी अदांद पटवार हल्का दुबलिया की वादग्रस्त आराजी खाता स० 8 किता 7 रकबा 5.1344 hec अप्रार्थी क्रम 1 कन्हैयालाल पुत्र नानूराम के खाते दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी ~~[illegible]~~ क्रम 1 को यह आराजी विरासत मे नानूराम से जरिये [illegible] 05/3/2011 से प्राप्त हुई थी। [illegible] अप्रार्थी क्रम 1 कन्हैयालाल के अप्रार्थी 2 गिरिराज के [illegible] [illegible] वादग्रस्त प्रार्थीगण की पैतृक आराजी होने से प्रकरण	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहलकार हुक्म की तामील में जारी
	प्रथम हिस्सा प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण की बहस के परिप्रेक्ष्य में ग्राम बरखेडी जदीद की वाद्यग्रस्त आराजी खाता सं० 8 किता 7 रकबा 5.1344 है० अप्रार्थी कन्हैयालाल के खाते दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम बरखेडी जदीद के नामा० सं० 277 दिनांक 05/3/2011 के अवलोकन से जाहिर है कि मृतक खातेदार नानूराम के फौत होने से उनकी आराजी खाता सं० 5 किता 5 रकबा 13-18 बीघा एवं खाता सं० 33 किता 2 रकबा 6-08 बीघा कुल किता 7 कुल रकबा 20-06 बीघा उनके वारिसान - कन्हैयालाल (पुत्र), कौशल्याबाई, सोहन बाई व लीलाबाई (पुत्रियां) एवं बेवा गेंदी बाई - में से कन्हैयालाल (पुत्र) एवं बेवा गेंदीबाई के हिस्सा 1/2-1/2 खाते दर्ज करने के ग्राम पंचायत ने आदेश दिये थे। बाद में गेंदी बाई के फौत होने पर नामा० सं० 400 दिनांक 05/12/2017 से गेंदी बाई का नाम कटके पूरा हिस्सा कन्हैयालाल के खाते दर्ज कर दिया गया था। यहां दोनों फौती नामा० 277 व 400 की legality and merit पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। प्रार्थीगण द्वारा अपने शपथ में कन्हैयालाल के ... को वारिसान बताते हैं लेकिन ... अप्रार्थी क्रम 4 को कन्हैयालाल का ... अंकित किया है अप्रार्थीगण ... सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने एवं कोई जवाब पेश नहीं करने से वारिसान/सजरा को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:09 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(6)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	अविवादित माना जावेगा। प्रार्थी क्रम 1 से 5, अप्रार्थी क्रम 2 के वारिसान है (शपथ पत्र अनुसार)। अत: साबित है कि ग्राम बरखेड़ी जडिड के वाकयात आराजी खाता नं० 8 किता 7 रकबा 5.1344 hec प्रार्थी क्रम 1 से 5 की पैतृक संपत्ति है। जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधि० के अनुसार प्रार्थीगण का Notional share 1/3 का 1/6 यानी 1/18 - 1/18 भाग होगा। अत: प्रकरण प्रथम बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है।	
	(ब) सुविधा का सन्तुलन :- प्रार्थी० प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को घर से निकाल दिया है और पैतृक संपत्ति मे कोई हिस्सा भी नहीं दिया है जिससे प्रार्थीगण के भरण पोषण का संकट उत्पन्न हो गया है। अप्रार्थी 1 व 2 मिलकर पैतृक भूमि को खुर्द बुर्द करने पर भी आमदा है अत: प्रार्थीगण को बेघर कर पैतृक भूमि को खुर्द बुर्द /अंतरण करने से प्रार्थीगण को अधिक असुविधा होगी।	
	हिन्दू उत्तराधिकार अधि० के अनुसार वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी क्रम 1 से 5 का नोशनल शेयर निहित होने से जन्म से ही हक व अधिकार माना जावेगा। शपथ पत्र अनुसार प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा बेघर कर भूमि में हिस्सा नहीं देकर खुर्द बुर्द की धमकी दी [illegible] प्रार्थीगण को उनकी पैतृक संपत्ति के [illegible] अधिकार से वंचित करने [illegible] अधिक असुविधा होगी। अत: सुविधा [illegible] प्रार्थीगण के पक्ष के साबित है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	(द) अपूरणीय क्षति :- प्रकरण में प्रार्थीगण को पैतृक संपत्ति से बेदखल करके अन्तरण करने पर अपूरणीय क्षति कारित होगी।	
	उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w. O39 R1&2 CPC आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी क्रम 1 को तादैसलामूलवाद इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह ग्राम बरखेड़ी जदीद की वाकेशुदा आराजी खाता 8 किता 7 रकबा 5.1344 hec. में से प्रार्थीगण के Notional share कुल हिस्सा 5x 1/18 = 5/18 का कहीं रहन, बेचान, दान आदि नहीं करे। अप्रार्थी क्रम 1 किसी को भी किसी हिस्सा विशेष का कब्जा अन्तरण नहीं करे। अप्रार्थी क्रम 5 SRO ऐसे किसी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	
	26/12/24	
	उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner